न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला

राजस्व प्रार्थना पत्र 38/2016

उगमा पुत्र श्री बिरदा जी चमार जाति चमार निवासी ग्राम नगर ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

1. घीसा पुत्र श्री किशना जी बैरवा जाति बैरवा
2. हजारी बैरवा पुत्र श्री जीवण जी बैरवा जाति बैरवा
3. कैलाश पुत्र श्री मांगू जी ब्राहमण जाति ब्राहमण
4. मदनलाल शर्मा पुत्र रघुनाथ जी ब्राहमण जाति ब्राहमण
5. मदनलाल पुत्र श्री हगामीलाल जी खाती जाति खाती
6. छगनलाल पुत्र श्री हगामीलाल जी खाती जाति खाती
7. ब्रहमानन्द पुत्र श्री हगामीलाल जी खाती जाति खाती
8. लादी पत्नि हगामीलाल जी खाती जाति खाती
9. बालू पुत्र श्री रूपा जी खाती जाति खाती
10. देबी पुत्र श्री नाथू जी चमार जाति चमार
11. मिश्री पुत्र श्री कजोड़ जी कुम्हार जाति कुम्हार
12. बालू पुत्र श्री कजोड़ जी कुम्हार जाति कुम्हार
13. घीसू पुत्र किशना जी चमार जाति चमार
14. राजेन्द्र पुत्र श्री भंवर लाल जी महाजन जाति महाजन
15. सालम सिंह पुत्र श्री भंवर लाल जी महाजन जाति महाजन
16. नेमीचन्द पुत्र श्री भंवर लाल जी महाजन जाति महाजन
17. राजकंवर पत्नि श्री जितेन्द्र सिंह जी राजपूत जाति राजपूत
18. मंगलसिंह पुत्र श्री बाबू लाल जी भाटी जाति रावणा राजपूत
19. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजयनगर जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा. भू. राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम नगर पटवार मंडल शिखरानी द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 633 रकबा 0.2941. 765/2 रकबा 0. 0728. 1118/2 रकबा 0.1942 बिस्वा उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम नगर पटवार मंडल शिखरानी द्वितीय की जमाबंदी संवत 2067–70 के खाता संख्या 20 में ख0 न0 633 रकबा 0.2941. 765/2 रकबा 0.0728. 1118/2 रकबा 0.1942 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम नगर पटवार मंडल शिखरानी द्वितीय स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 633 रकबा 0.2941. 765/2 रकबा 0.0728. 1118/2 रकबा 0.1942 बिस्वा में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 15:11:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: